महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY
A State University-Government of Uttar Pradesh; **NAAC A++ Accredited**; ISO 9001:2015 & 14001:2015 Certified

पत्रांक : एम.जे.पी.रू.वि. / सम्बद्धता / 2025 / 3511 दिनांक : 14.05.2025

सेवा में,
प्राचार्य / प्राचार्या / निदेशक / प्रबन्धक / सचिव,
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली।

विषय– छात्र / छात्राओं से निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क बसूल किये के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

संज्ञान में आया है कि विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में विभिन्न पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्र / छात्राओं से कतिपय महाविद्यालयों द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क बसूल किये जाने के सम्बन्ध में विभिन्न माध्यमों से शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। ज्ञातव्य हो कि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क से अतिरिक्त शुल्क लिये जाने की व्यवस्था नहीं है।

उक्त के दृष्टिगत ऐसे समस्त सम्बद्ध महाविद्यालयों को सूचित किया जाता है कि वह अपने महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र / छात्राओं से निर्धारित शुल्क ही लिये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क किसी भी दशा में न लिया जाए अन्यथा की स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा ऐसे महाविद्यालयों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण।
2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बरेली।
3. मीडिया प्रभारी।
4. उप कुलसचिव (प्रशासन / सम्बद्धता)।
5. उप कुलसचिव (परीक्षा / गोपनीय)।
6. सहायक कुलसचिव।
7. निजी सचिव–कुलपति।
8. प्रभारी, वेबसाईट।
9. वैयक्तिक सहायक–कुलसचिव।

कुलसचिव